न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)
उनवान

हनुमान पुत्र हजारी जाति मीना निवासी ग्राम बेगमपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 48 वर्ष 20187

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा मे से 0.13 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 11 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 48/2017
निर्णय दिनांक– 06.11.2018

उनवान

हनुमान पुत्र हजारी जाति मीना निवासी ग्राम बेगमपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादीगण
2.तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिका ख0न0 373/3 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादी के पिता स्व0 हजारी पुत्र श्रीया मीना सा0 बेगमपुरा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसका अंकन साबिक जमाबन्दी सं0 2018–21 व 2023–26 दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी के पिता को अपने पिता की मृत्युपरान्त विरासत मे प्राप्त हुयी है, जिस पर वादी का अपने पिता के जीवनकाल से ही लगातार बिना किसी बाधा कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार को लगान जमा कराता चला आ रहा है। कुछ वर्षो पूर्व तहसील उनियारा मे सेटलमेन्ट कार्य सम्पादित किया गया था जिसमे सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय अथवा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश वादग्रस्त आराजी साबिक ख0न0 373/3 ररकबा 10 बिस्वा के हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम पचाला बनाते हुये गलत रूप से राजस्व रेकार्ड मे वादग्रस्त आराजी को सिवायचक मे दर्ज कर दिया। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई वैधानिक अधिकार नही था। उक्त अंकन वादी के हितो के प्रतिकूल व प्रभाव शून्य है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो कि खसरा परिवर्तनशील सं0 2047 से आज तक मे अंकित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिसे सिवायचक दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रतिवादीगण के मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने व सिविल जैल भिजवाने की धमकी दी जा रही है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह है कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री सादिर फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजी साबिका खसरा नंबर 373/3 रकबा 10 बिस्वा से बने हाल ख0नं0 647 रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 20.6.2018 को जवाब दावा पेश किया गया कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2023–26 के अनुसार आवेदक हनुमान के पिता हजारी पुत्र श्रीया कोम मीना सा0 बेगमपुरा के नाम 373/3 रकबा 10 बिस्वा रेकार्ड दर्ज है। किन्तु वर्तमान मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान मे सिवायचक दर्ज होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही किया जाना न्याय संगत है। साबिक ख0न0 373/3 रकबा 10 बिस्वा वर्तमान मे हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 रकबा मिलान क्षैत्रफल मिसल बन्दोबस्त की नकल अनुसार बना है। किन्तु 10 बिस्वा का कन्वर्ड लगभग 0.13 है0 ही बनता है। उक्त आराजी पर वादी के पिता व स्वयं का ही कब्जा काश्त है। वर्तमान मे सिवायचक होने से वादी को दिये जाने मे राज्य हित प्रभावित होता है।

जवाब पेश होने के बाद वादपत्र मे निम्न तनकियात कायम कर विवेचित की गई:–

1.आया वादी साबिका आराजी ख0न00 373/3 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम पचाला से बने हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 की खातेदारी प्राप्त करने तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराये जाने का अधिकारी है?

–वादी

2.आया वादगस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक हाने से वादी को दिये जाने से राज्य हित प्रभावित होता है, वाद वादी खारिज योग्य है?

–प्रतिवादीगण

3.दादरसी

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी ग्राम पचाला सम्वत 2023–26 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी ग्राम पचाला सम्वत 2018–21 प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 ता 6 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–40 प्रदर्श 7, नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण पी0 14 सम्वत 2066 प्रदर्श 8, नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण पी0 14 सम्वत 2048 से 2063 प्रदर्श 9 पेश किये है।

वादी ने अपने वाद के निम्न गवाहान पी.डब्लू. 1 हनुमान, पी.डब्लू. 2 बद्री के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वाद पत्र मे कायमशुदा तनकियात पर न्यायालय का विवेचन निम्नवत है:—

1. तनकी नम्बर मे वादी को यह सिद्व करना था कि आया वादी साबिका आराजी ख0न00 373/3 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम पचाला से बने हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 की खातेदारी प्राप्त करने तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराये जाने का अधिकारी है?

प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2023–2026 वाके ग्राम पचाला मे साबिक आराजी ख0न0 373/3 रकबा 10 बिस्वा हजारी पुत्र श्रीया कोम मीना सा0 बेगमपुरा के नाम दर्ज है। प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2018–2021 वाके ग्राम पचाला मे साबिक आराजी ख0न0 373/3 रकबा 10 बिस्वा हजारी पुत्र श्रीया कोम मीना सा0 बेगमपुरा के नाम दर्ज है। प्रदर्श 7 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 – 2040 मे साबिक ख0न0 373/3/1 रकबा 8 बिस्वा हजारी पुत्र श्रीया कोम मीना सा0 बेगमपुरा दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 373/1 मी. रकबा – से हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 कायम हुये है। प्रदर्श 9 नकल खसरा परिवर्तित सम्वत 2047–2063 व प्रदर्श 8 खसरा परिवर्तित सम्वत 2066 मे आराजी ख0न0 647 रकबा 0.19 पर हनुमान पुत्र हजारी मीणा सा0 बेगमपुरा का अतिक्रमण दर्ज है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे माना है कि ख0न0 साबिक 373/3 रकबा 10 बिस्वा वर्तमान मे हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 मिलान क्षैत्रफल व मिसल बन्दोबस्त की नकल अनुसार बना है किन्तु 10 बिस्वा का कन्वार्ड लगभग 0.13 है0 ही बनता है। पूर्व मे 373/3 रकबा 10 बिस्वा रकबा आवेदक हनुमान के पिता हजारी पि0 श्रीया के नाम मुताबिक नकल जमाबन्दी सलंग्न अनुसार खाते मे था। वर्तमान मे सिवायचक होने से वादी को दिये जाने मे राज्य हित प्रभावित होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साबिक ख0न0 373/3 रकबा 10 बिस्वा वादी के पिता हजारी पुत्र श्रीया के खातेदारी मे था, जिसके हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम पचाला कायम हुये है। वादी का इस आराजी पर लगातार कब्जा(अतिक्रमण) रहा है। रकबा 0.19 साबिक रकबे 0.10 से अधिक है। वादी हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 मे से 0.13 है0 की ही खतेदारी प्राप्त करने तथा राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। अतः इस तनकी का आंशिक निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

2. तनकी नम्बर 2 मे प्रतिवादीगण को यह सिद्व करना था कि आया वादगस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक हाने से वादी को दिये जाने से राज्य हित प्रभावित होता है, वाद वादी खारिज योग्य है?

यह सही है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 647 रकबा 0.19 वाके ग्राम पचाला वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे भी माना है कि हाल ख0न0 647 रकबा 0.19 साबिक ख0न0 373/3 रकबा 10 बिस्वा से कायम हुये है। सिवायचक भूमि को वादी के नाम खातेदारी मे दिये जाने से राज्यहित प्रभावित होता है, परन्तु वादी अपने खातेदारी की भूमि की हद तक ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम पचाला मे से 0.13 है0 की हद तक की खतेदारी प्राप्त करने का हकदार है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तनकियात के निर्णय के प्रकाश मे न्यायालय वादी के वाद को आंशिक डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। आराजी ख0न0 647 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा मे से 0.13 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner